

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.08(न.पा.)(पीएसकेएस)()डीएलबी/21/71744

दिनांक: 26.10.21

अधिसूचना

प्रशासन शहरो के संग अभियान में होने वाले कार्यों के सुचारु संचालन हेतु राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 15 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एवं संबंधित उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग को उनके क्षेत्राधिकार में (नगर निगम को छोड़कर) कार्यरत राज. नगर पालिका सेवा के अधिकारी तथा समस्त अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के कर्मियों के विरुद्ध राज. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अधीन लघु शास्तीयाँ (अधिकतम दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने तक) अधिरोपित करने के लिए विशेष रूप से सशक्त करती है।

(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

क्रमांक: प.8(न.पा.)(पीएसकेएस)()डीएलबी/21/71745-72005 दिनांक: 26.10.21
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर
02. जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान ।
03. उप निदेशक क्षेत्रीय स्वायत्त शासन विभाग समस्त राज. ।
04. अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को असधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
05. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय राज. जयपुर ।
06. महालेखाकार, राज. जयपुर ।
07. राजकीय अधिवक्ता, राज उच्च न्यायालय जयपुर / जोधपुर ।
08. आयुक्त/अधिशाली अधिकारी समस्त नगर परिषद/पालिकाएं राज. ।
09. आईटी सैल निदेशालय को अपलोड करने हेतु ।
10. सुरक्षित पत्रावली ।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव